

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 15.03.2019

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.11.2018 के द्वारा डा. मूल सिंह शेखावत, वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर का बकाया एवं आगामी वेतन उपस्थिति के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पावटा, जयपुर में उपलब्ध रिक्त पद से अग्रिम आदेशों तक आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. शेखावत का बकाया एवं माह मई, 2019 तक का वेतन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पावटा, जयपुर के स्थान पर जिला चिकित्सालय, चित्तौडगढ में उपलब्ध रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 3- अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, जयपुर/उदयपुर
- 5- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, चित्तौडगढ
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम
- 7- डा. मूल सिंह शेखावत, वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
- 8- रक्षित पत्रावली



(ओ. पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव